कन्या शाला की छात्राओं को किया गया इंटर्नशिप प्रमाण पत्र वितरित व्यावसायिक शिक्षा के तहत हेल्थ केयर में 62 छात्राएं हुईं पारंगत

रायगढ़

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में आज वोकेशनल एजुकेशन के तहत केजीएच में इंटर्नशिप करने वाली छात्राओं को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया और उन्हें करियर से संबंधित जानकारी दी गई।

रायगढ़ में पाठ्यक्रम ज्ञान के साथ स्कूली बच्चों को लगातार अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से भी अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के तहत हेल्थ केयर के साथ कई स्ट्रीम के बारे में जानकारी दी जा रही है। हेल्थ स्ट्रीम से संबंधित बच्चों के लिए जिला अस्पताल में 10 दिनों का इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहां बच्चों ने हेल्थ से जुड़ी तमाम बारीकियां अस्पताल परिसर में ही सीखी।

ज्ञात हो कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए हर साल इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इसमें सभी व्यावसायिक शिक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों को 10 दिवस व्यावसायिक ट्रेड से संबंधित किसी भी संस्थान में अपना इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होता है। जिससे विद्यार्थी अपने ट्रेड से संबंधित प्रायोगिक ज्ञान को एवं मार्केट में उपस्थित सभी जॉब प्रोफाइल को भली-भांति समझ सके। विद्यालय में अध्यनरत कक्षा 9वीं से 12वीं हेल्थ केयर में कुल 62 विद्यार्थियों ने जिला अस्पताल में इंटर्नशिप पूर्ण किया।

डीईओ की मौजूदगी में दिया गया प्रमाण-पत्र

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उन तमाम इंटर्नशिप लेने वाले बच्चों को जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। जिन्होंने जिला अस्पताल में

10 दिवसीय इंटर्नशिप में भाग लिया था। इस मौके पर समग्र शिक्षा, जिला शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ सभी शिक्षक मौजूद थे। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी केव्ही राव, समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी नरेंद्र कुमार चौधरी, भुनेश्वर पटेल, प्रभारी प्राचार्य रविंद्र तिवारी, हेल्थ केयर व्यावसायिक प्रशिक्षक सुषमा देवांगन सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्राएं उपस्थित थीं।

स्कूली बच्चों में पैदा होती है आत्मविश्वास

स्कूल के प्राचार्य विजय तिर्की ने बताया कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों से अवगत कराए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सभी जगह प्रशंसा होती है। इंटर्नशिप करने वाले बच्चे भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर खुद में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। बच्चे अब 12 वीं के बाद हेल्थ से जुड़े क्षेत्रों में काम करने के लिए अनुभवी हो जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को करियर से जुड़े टिप्स भी दिए गए।

बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव के मार्गदर्शन में बालिका छात्रावास रायगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रावास के बच्चों को टोनही प्रताडऩा अधिनियम के बारे में बताते हुए समझाया गया कि किसी भी महिला को मानसिक रूप से प्रताडित करना अंधविश्वास पर आधारित प्रताडऩा है और ओझा जो कि इलाज करने तथा झाडफ़ूंक, टोटका, मंत्र या किसी भी माध्यम से शक्तिहीन करने की शक्ति रखने का दावा करता है इस विषय में जानकारी दी, साथ ही लोकअदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है जहां ऐसे मामलों को जो आपसी समझौता में सुलझाया जा सकता है। जैसे बिजली, पानी, बैंक मारपीट मामलों को निपटाया जाता है साथ ही साथ नि:शुल्क विधिक सहायता के विषय में बताया गया।

शिविर में मोटर यान अधिनियम भारत में सड़क परिवहन वाहनों से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम है, अधिनियम में लाइसेंस,मोटर वाहन का पंजीकरण यातायात नियम, बीमा आदि के विषय में छात्रावास के बच्चों को समझाया। आयोजित इस शिविर में उपस्थित शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एस.सी. एवं एस.टी. पी.ए. अधिनियम रायगढ, जगदीश राम तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एन.डी.पी.एस./विद्युत अधिनियम रायगढ़, देवेन्द्र साहू, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) रायगढ़, छात्रावास अधीक्षिका पूर्तिरात्रे एवं पोस्ट मैट्रिक प्रियंका गुप्ता अधीक्षिका साथ ही पैरालीगल वालिंटियर उपस्थित रहें।

महत्वपूर्ण एवं खास

भारतमाला प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के मामले में चार गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को आज को एसीबी-ईओडब्ल्यूकी विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि इससे शुक्रवार 25 अप्रैल को ईओडब्ल्यूने नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग-भिलाई, आरंग, और बिलासपुर समेत कई जिलों में 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल मामले में ईओडब्ल्यू गहन जांच कर रही है।

स्विमिंग पूल में डूबने से मैनेजर की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। देवरीखुर्द क्षेत्र स्थित होटल रेड डायमंड में हैदराबाद से आए एक मार्केटिंग मैनेजर की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एम. जे. फारूक के रूप में हुई है, जो कंपनी के कार्य से बिलासपुर आए थे और होटल में ठहरे हुए थे। शुक्रवार शाम फारूक होटल के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि घटना के पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार का आपराधिक एंगल सामने नहीं आया है, फिर भी पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।घटना के बाद होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। अब यह मामला हादसा या हत्या है इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सांसद मनोज तिवारी ने की सौजन्य भेंट

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर तिवारी का पारंपरिक शाल ओढ़ाकर तथा छत्तीसगढ़ की विशिष्ट बेलमेटल कला से निर्मित नंदी की प्रतिमा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय और सांसद मनोज तिवारी के बीच छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति और राज्य में उभरते फिल्म उद्योग सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने तिवारी को राज्य सरकार द्वारा लोककला के संरक्षण, संवर्धन तथा फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से भी अवगत कराया। सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री साय द्वारा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और लोक धरोहरों को राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की।

गिरफ्तारी : 20 लीटर महुआ शराब और मोबाइल छोड़ कर भागे आरोपी को जूटमिल पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट पेश कर भेजा जेल

रायगढ़

जूटमिल पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के मामले में फरार चल रहे दीपक सिदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी दीपक सिदार, उम्र 23 वर्ष, पिता सुशील सिदार, निवासी बनसियां रापेनडीपा, थाना जूटमिल, के खिलाफ 19 अप्रैल 2025 को अवैध महुआ शराब रखने और बेचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीपक अपने घर के खुले बरामदे में भारी मात्रा में महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है। इस सूचना के आधार पर जूटमिल पुलिस ने तत्काल दबिश दी थी, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी शराब और अपना मोबाइल फोन मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ग्राम सरपंच और

गवाहों की उपस्थिति में पाँच-पाँच लीटर की क्षमता वाले चार प्लास्टिक डिब्बों में लगभग 20 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 3,000 रुपये तथा एक ओप्पो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल जब्त किया था। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2025 धारा 34(2), 59-क आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

फरार आरोपी की तलाश के लिए थाना प्रभारी जूटमिल द्वारा विश्वसनीय मुखबिर लगाए गए थे। आज मुखबिर से सूचना मिली कि दीपक सिदार अपने गांव में देखा गया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर थाने लाया। पूछताछ के दौरान आरोपी को जब्त महुआ शराब और मोबाइल दिखाया गया, जिसे उसने पहचान कर अपना बताया। दीपक सिदार को विधिवत मेडिकल परीक्षण के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसका जेल वारंट जारी होने पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जूटमिल पुलिस की तत्पर कार्रवाई से इलाके में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

अवैध शराब निर्माण स्थल पर पुलिस की दबिश, 60 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, गया जेल

❐ खरसिया के खड़गांव में अवैध महुआ शराब के खिलाफ जोबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत चौकी जोबी पुलिस ने ग्राम खड़गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर के नेतृत्व में मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी महेंद्र कुमार राठिया को अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा गया, जबकि उसका भाई सुरेंद्र राठिया

पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि महेंद्र कुमार राठिया और उसका भाई सुरेंद्र राठिया अपने घर के पीछे खेत में महुआ शराब का अवैध निर्माण कर बिक्री हेतु भंडारण कर रहे थे। महेंद्र कुमार पिता जयपाल राठिया उम्र 38 साल निवासी खडगांव ने अपने मेमोरेण्डम कथन में इस अवैध गतिविधि को स्वीकार करते हुए बताया कि वह अपने भाई के साथ मिलकर अवैध शराब बनाता और बेचता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी महेंद्र के कब्जे से 60 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये, तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त कई बड़े व छोटे सिल्वर बर्तन बरामद किए।

पुलिस ने महेंद्र कुमार राठिया और फरार आरोपी सुरेंद्र राठिया के खिलाफ धारा 34(2), 59-क आबकारी अधिनियम के तहत थाना खरसिया (चौकी जोबी) में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र राठिया को गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है। एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न इस कार्रवाई में एसएसआई लक्ष्मी नारायण राठौर के साथ आरक्षक सुरेंद्र बंशी, राजेंद्र राठिया, केशव सिंह राठिया और इतवारी कंवर ने अहम भूमिका निभाई। फरार आरोपी सुरेंद्र राठिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का प्रयास जारी है।

रायगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम में सड़क दुर्घटनाओं और मुआवजा दावों पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित

रायगढ़

पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में शनिवार को सड़क दुर्घटना से जुड़े प्रकरणों की विवेचना और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पर आधारित एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में त्रुटिरहित अपराध विवेचना और न्यायालय में सजा प्रतिशत बढ़ाने के नवाचार प्रयासों के तहत प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार की कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य विवेचकों को अद्यतन जानकारी देना और उनके कौशल को निखारना है।

इस शनिवार आयोजित कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं और एमएसीटी मामलों पर आधारित न्यायालयीन निर्णयों के विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए निरीक्षक नासिर खान (साइबर सेल), सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी (थाना चक्रधरनगर) और प्रधान आरक्षक सतीश पाठक (थाना जूटमिल) को वक्ता के रूप मंह चुना गया।

वहीं, विशेष वक्ता के रूप में अधिवक्ता महेंद्र सिंह यादव को आमंत्रित किया गया, जो एमएसीटी मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। कार्यशाला के पहले चरण में निरीक्षक नासिर खान और एएसआई नंद कुमार सारथी ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित प्रकरणों के निर्णयों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया और पुलिस विवेचना में पाई गई त्रुटियों के साथ-साथ उत्कृष्ट विवेचना के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाला। इसके बाद पुलिस अधीक्षक पटेल और अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने उपस्थित एवं वर्चुअल रूप से जुड़े पुलिस अधिकारियों को त्रुटियों के निराकरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।

दूसरे चरण में अधिवक्ता महेंद्र सिंह यादव ने न्यायालयीन प्रक्रिया में पुलिस विवेचना में अपेक्षित साक्ष्यों और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में ग्राह्य दस्तावेजों की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे सटीक और सुसंगत साक्ष्य पेश कर पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाया जा सकता है। कार्यशाला में सहभागिता के लिए अधिवक्ता महेंद्र सिंह यादव को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक पटेल ने कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को न्याय और उचित क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए विवेचकों को ठोस और तथ्यों पर आधारित विवेचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रधान आरक्षक सतीश पाठक ने अपने केस स्टडी के माध्यम से खरसिया और धरमजयगढ़ थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना मामलों की विवेचना के व्यावहारिक अनुभव साझा किए। कार्यशाला में जिला मुख्यालय के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना व चौकी प्रभारी अपने विवेचकों के साथ सशरीर उपस्थित रहे, जबकि तहसील स्तरीय थानों से अधिकारीगण वर्चुअल रूप से जुड़े। इस नवाचारपूर्ण पहल से पुलिस विवेचना अधिकारियों को सड़क दुर्घटना मामलों में कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य संकलन की बारीकियों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र और प्रभावी न्याय दिलाने में सहायता होगी।

सूखने के कगार पर बस्तर की जीवनदायनी इंद्रावती नदी

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को सींचने वाली इंद्रावती नदी सूखे के कगार पर है. इससे बस्तर में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर कांग्रेस आज चित्रकोट से जगदलपुर तक 3 दिवसीय जल-जंगल-जमीन बचाओ, इंद्रवती नदी बचाओ पदयात्रा करने वाली थी. लेकिन हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 28 आम नागरिक मारे गए. इस घटना के चलते रद्दष्टष्ट के निर्देश पर कांग्रेस ने 27 अप्रैल तक अपनी सभी राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं.

इंद्रावती नदी को बचाने कांग्रेस लड़ेगी बड़ी लड़ाई

बता दें, इस पदयात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता समेत भारी संख्या में बस्तर के प्रभावित किसान भी शामिल होने वाले थे. इस पदयात्रा के तीसरे दिन जगदलपुर कलेक्टर दफ्तर घेराव की योजना थी. कांग्रेस ने कहा कि इंद्रावती नदी को बचाने के लिए पार्टी आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लडऩे को तैयार है. इसकी रूपरेखा भी जल्द तैयार की जाएगी.

इंद्रावती नदी पर जल संकट

इंद्रावती नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये बस्तर की प्राणधारा है, ये बस्तर की सांस है. आज वही इंद्रावती नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है. दो महीने से बस्तर के किसान सडक़ पर हैं. धरनों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं. इंद्रावती में पानी लाने की गुहार लगा रहे हैं.

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण हुआ कर्जमुक्त, 1788 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ लौटाई 100 करोड़ की सरकारी गारंटी

रायपुर। आरएनएस

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर से एक प्रेरणादायक और सुखद खबर सामने आई है. नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (पूर्व में एनआरडीए) अब पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गया है. प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का सारा कजर् चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था. साथ ही 100 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है.

दरअसल, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी, के विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया था. यह कर्ज भूमि अधिग्रहण, सडक़ों, शासकीय भवनों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था. इस कर्ज के साथ उसके ब्याज ने प्राधिकरण

के नगदी प्रवाह को प्रभावित किया था.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते हुए ऐसी नीतियाँ लागू कीं, जिन्होंने प्राधिकरण की आय बढ़ाई और कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया. इसके साथ ही अब प्राधिकरण को अधोसंरचना विकास और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगा.

मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर का ऋणमुक्त होना एक सुखद संकेत है. हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और रणनीतिक नियोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि प्राधिकरण न केवल कर्ज से मुक्त हो, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर विकास की नई ऊँचाइयों को छुए. यह उपलब्धि नवा रायपुर को एक आधुनिक, रोजगारोन्मुखी और सुविधायुक्त शहर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों ने प्राधिकरण की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा दिया. मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, देश की विख्यात पॉलिमैटेक कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की पहल जैसे प्रोजेक्ट्स ने निजी निवेश को आकर्षित किया.

छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के लिए 1043 करोड़ रूपए का प्रावधान और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन आवंटन ने आय के स्रोतों को मजबूत किया. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के तहत व्यापारियों को राहत ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को मिला है.

ऋणमुक्ति के साथ, प्राधिकरण की सभी संपत्तियाँ अब बंधनमुक्त हो गई है, जिससे उनका उपयोग और क्रय-विक्रय आसान होगा. इससे नगदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा. नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए नजीर बनेगी. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है.

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480